कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाअधिकारी सिवनी (म0प्र)

क्रमांक 2811 / कलेक्टर.का. / सिवनी / 2025 जबलपुर, दिनांक 16/4/25

प्रति,

रजिस्ट्रार
माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण
सेन्ट्रल जोनल बेंच भोपाल
भोपाल

विषय :- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भोपाल बेंच में विचाराधीन प्रकरण क्रमांक 10/2025 (सीजेड) में दिनांक 27/01/2025 को पारित आदेश।

संदर्भ :- 1-माननीय एनजीटी द्वारा पारित आदेश दिनांक 27/01/2025
2-सचिव, मध्यप्रदेश शासन वन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक 4/2/6/ 0004 /2025 भोपाल दिनांक 10/02/2025

उपरोक्त विशयान्तर्गत माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच में प्रकरण क्रमांक 10/2025 (सीजेड) (श्री दिनेश ठाकुर विरूद्ध फील्ड डायरेक्टर पेंच टाईगर रिजर्व सिवनी एवं अन्य) द्वारा दिनांक 27/01/2025 को पारित में माननीय अधिकरण द्वारा संयुक्त निरीक्षण के निर्देश दिये गये है। प्रकरण में मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग मंत्रालय वल्लभ भोपाल के पत्र दिनांक 10/02/2025 द्वारा कलेक्टर सिवनी जिला सिवनी को वन विभाग का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में गठित समिति द्वारा दिनांक 26/03/2025 एवं 02/04/2025 को स्थल निरीक्षण किया गया। समिति के रिपोर्ट संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित है।

16/04/25

कलेक्टर एवं जिला दण्डाअधिकारी
जिला-सिवनी

क्रमांक 2811A / कलेक्टर.का. / सिवनी / 2025 जबलपुर, दिनांक 16/4/25

प्रतिलिपिः-

सदस्य सचिव, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाअधिकारी
जिला-सिवनी

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, CENTRAL ZONAL BENCH, BHOPAL

ORIGINAL APPLICATION NO 10/2025(CZ)

DINESH SINGH THAKUR …APPLICANT(S)

VS.

FIELD DIRECTOR, PENCH TIGER RESERVE & ORS. …RESPONDENT(S)

INDEX

Sr.	PARTICULARS	ANNEXURE	PAGE NO
1.	Joint Committee Report in compliance of order dated 28.01.2025		1-10
2.	Appointment orders of the representatives of the Joint Committee	Annexure-I	11-12
3.	Panchnama of the inspection by Joint Committee of each resort	Annexure-II	13-19
4.	The representation submitted by the applicant Shri Dinesh Thakur, to the committee with Photographs on 26/03/2025	Annexure-III	20-37
5.	District administration has issued prohibited the use of Loud Music/DJ/Fire crackers in the notified ESZ vide its order 8459 dated 29.12.2024	Annexure-IV	38-39
6.	CCF Pench Tiger reserve has also prohibited the use of Loud Music/DJ/Fire crackers in the notified ESZ vide its order 6036 dated 12.12.2024	Annexure-V	40
7.	Photographs of the Inspection	Annexure-VI	41-43
8.	Copy of the minutes of the meeting of the committee in Annexure-VII chairman ship of divisional commissioner	Annexure-VII	44-48
9.	Proof of Service		49

Place: Bhopal **FILED BY MPPCB**

Date: 15.04.2025

ADV PARUL BHADORIA
Advocate for MPPCB
Ph.No.:(+91)-8085977111;
Email: parul.bhadoria04@gmail.com

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, CENTRAL ZONAL BENCH, BHOPAL ORIGINAL APPLICATION NO 10/2025(CZ)

(Dinesh Thakur Vs Field Director, Pench Tiger Reserve Seoni & Ors)

1. That the present original application has been filed by the applicant regarding the encroachment on the forest land in Khawasa,Turia, Karamajhiri Jumtra under Pench Tiger Reserve of District Seoni (M.P.) in violation of environmental rules, forest and revenue department rules. The applicant had stated that in the last 10 years, due to the construction of a large number of resorts in the areas around Pench Tiger Reserve, the life of wild animals is in danger, because in these resorts, weddings, parties, workshops and other events take place from morning till late night. In which DJ sound is played at high volume. And sometimes fireworks are also done. The resort operators do not have any arrangement to destroy the waste material coming out of the resorts, due to which they throw the waste material in the forest. Wild animals sometimes die after consuming this toxic waste material, which is a matter of concern. The applicant had also stated that precious forests have been cut down for the construction of resorts, which has caused deep damage to the environment, violation of the Environment Protection Act 1986.

2. That Hon'ble Tribunal vide order dated 27/01/2025 has issued following directions : -

"*We deem it just and proper to call a report on the matter in issue, in present application, from a Joint Committee consisting of:*

(i) One Representative from the Director, Pench Tiger Reserve Seoni (M.P.)
(ii) One Representative from the Principal Secretary (Forest), State of MP, Bhopal.
(iii) One Representative from the Member Secretary, Pollution Control Board, (M.P.)

4. The Committee is directed to visit the site and submit the factual and action taken report within six weeks. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support."

Appointment orders of the representatives of the Joint Committee Attached with **Annexure-I**

3. That as per direction of Hon'ble National Green Tribunal, vide order dated 27/01/2025, The committee consisting of following members inspected the site : -

i. Smt. Poorvi Tiwari, Deputy Collector Seoni- Representative of Collector Seoni
ii. Shri B.P. Tiwari Assistant Forest Officer, Pench Tiger Reserve Seoni- Representative of Director, Pench Tiger Reserve Seoni
iii. Shri Alok Kumar Jain, Regional Officer M.P. Pollution Control Board Jabalpur- Representative of Member Secretary M.P.P.C.B.

4. **Brief Introduction of Pench Tiger Reserve: -**

4.1 The Indira Priyadarshini Pench National Park and Tiger Reserve, is located in Seoni and Chhindwara districts of MP, while the Pench Mowagali Sanctuary is a part of Pench national park and confined to Kurai tehsil of District Seoni, both having an area of 411.33 Sq km, which together form the core area of '***Pench Tiger Reserve***'.

4.2 That vide MOEF&CC notification no. S.O. 4009 (E) dated 06-11-2019, the formation of the ESZ of Pench Tiger Reserve was done and its boundaries have been notified with an extent varying from zero to 27 km around the boundary of Pench Tiger Reserve (Indira Priyadarshini Pench National Park & the Pench Mowgali Sanctuary) covering an area 771.537 Sq km as ESZ. It has also been provided that the minimum buffer, whenever it less than 2 km from the core boundary, the ESZ will be considered up to 2 km from the core boundary.

5. Field Observation by the Joint Committee: -

5.1 The committee inspected the site on dated 26/03/2025 & 02/04/2025 respectively and discussed the matter with petitioner Shri Dinesh Thakur before proceeding to detailed field inspection.

5.2 During meeting, Shri Dinesh Thakur, Petitioner had also submitted representation to the committee with Photographs. The Copy of Letter dated 26/03/2025 is enclosed as **Annexure-II**.

5.3 During meeting Petitioner specifically raised his contentions regarding ongoing marriages/parties in the following resorts: -

Sr.	Name of Resort	Address
i.	M/s The Pench International Resort Seoni	Khasra No 78/1/1 Village Turiya, Tehsil Kurrai, Distt. Seoni,
ii.	M/s Tathastu -A Unit of Exotic Hospitality (Nagpur) Pvt.Ltd.	Khasra.103/2104,105.106,107/1Village Turiya, Tehsil Kurrai, Distt. Seoni,
iii.	Olive Villas	Khasra No. 58/1 & 58/2 Village-Avargani Tehsil-Kurai Dist-Seoni
iv.	Jungle Home Pech Resort	Khasra No. 101 & 119 Village-Avargani Tehsil-Kurai Dist-Seoni
v.	Gajraj Resort (Kesharwani Resort (Pench Holiday)	Khasra No. 233 & 246/2 Village-Turiya, Tehsil-Kurrai, District- Seoni (M.P.),
vi.	Mrignayani Resort	Village-Turiya, Tehsil-Kurrai, District-Seoni (M.P.),

The names submitted by the petitioner before inspection committee were also visited as a part of inspection and contentions raised by the petitioner were found to be partially true. Panchnama of the inspection by Joint Committee of each resort is enclosed as **Annexure-III**

6. In petition as well as during discussion petitioner has raised the following issues: -

S. No	Issues Raised by the Petitioner	Field Observation
1	Petitioner has alleged that wedding parties, workshop, seminar, events are organized at various resorts located at Khawasa gate.	Wedding parties /Workshops /Seminars etc. are organised in the major resorts as orally informed and mentioned above by the petitioner.
2	DJ/loud music causes noise pollution which affects the wild life. Petitioner further alleges that the use of fire crackers in wedding parties causes the sound pollution /nuisance which pushes the wild animals towards the adjacent village areas.	During inspection Committee were informed by the resort owners that Marriage functions involving music are mainly organized within the sound proof banquet hall. District administration has also prohibited the use of Loud Music/DJ/Fire crackers in the notified ESZ vide its order 8459 dated 29.12.2024 which is enclosed as **Annexure-IV**. As per the Forest department officials, there has been no incident of migration of wild animals due to nuisance has been observed. CCF Pench Tiger reserve has also prohibited the use of Loud Music/DJ/Fire crackers in the notified ESZ vide its order 6036 dated 12.12.2024 which is enclosed as **Annexure-V**.

3	Municipal Solid Waste (Specifically Kitchin waste) & other wastes generated out of the resorts is not disposed of properly and thrown at the forest land which affects the Wild animals.	During inspection waste Segregation facility and composting site inspected by the committee in the presence of Sarpanch Turia and it was noted that MSW generated out of the resorts is collected by the Gram Panchayat and segregated into compostable and non-compostable components. Non compostable waste is further sold to the authorised Wenders and compostable waste is disposed off in the composting pits located in the village Turia. At the time of inspection no incidence of waste dumping into the forest land was observed. GPS photographs of waste Segregation facility and composting pits are attached as **Annexure-VI**.
4	Petitioner alleges that domestic waste water generated out of the resorts is disposed off into the forest land which affects the wild animals.	During inspection it was noted that Resorts have in house either Sewage treatment Plants (STP) or Septic Tanks-Soak Pit. No discharge out of the premises was observed at the time of inspection. Also, Resorts have sufficient land within their premises for the reuse of treated waste water.

5	The other issue raised by the complainer is precious forests have been cut down for the construction of resorts, which has caused deep damage to the environment, violation of the Environment Protection Act 1986.	It is to be noted that all the resorts are located on the revenue land. Good Plantation is found in the resort area. It is respectfully submitted that the Forest Department (Pench Tiger Reserve) has inspected the resorts time to time and take the remedial measures as and when required.

The committee had also inspected the resorts mentioned by the petitioner during discussion. Details of the inspection are tabulated below:-

S. No	Name of Resorts	Number of Rooms	Details of Banquet Hall Facilities	Facilities of Marriage	DJ/Music	Disposal of Solid Waste
1	M/s The Pench International Resort Village-Turiya Tehsil-Kurai Seoni	24	Yes	Yes	Not Found	Through Gram Panchyat
2	M/s Tathastu -A Unit of Exotic Hospitality Pvt.Ltd. Village-Turiya Tehsil-Kurai Seoni	59	Yes	Yes	Not Found	Through Gram Panchyat
3	Olive Villas, Village-Avargani Tehsil-Kurai Seoni	25	Yes	Yes	Not Found	Through Gram Panchyat
4	Jungle Home Pech Resort Village-Avargani	26	Yes	Yes	Music System is Found	Through Gram Panchyat

	Tehsil-Kurai Seoni					
5	Pench Wildness Camps Village-Turiya Tehsil-Kurai Seoni	19	Yes	Yes	Not Found	Through Gram Panchyat
6	Gajraj Resort (Pench Holiday) Resort Village-Turiya Tehsil-Kurai Seoni	36	Yes	Yes	Not Found	Through Gram Panchyat
7	Mragnayani Resort Village-Turiya Tehsil-Kurai Seoni	30	Found Closed during inspection			

7. All the above-mentioned resorts have provided STP (Sewage Treatment Plant) or Septic tank, Soak pit for treatment of domestic waste water. No effluent was found discharge outside the premises of resorts at the time of inspection by the committee.
8. The Municipal solid waste generated out of the resorts is collected by the gram panchayat Turia/avargani and segregated into compostable and non-compostable components. After segregation, non-compostable waste such as Plastic waste, Glasses, Paper waste is further sold to the authorised Wenders and compostable waste is disposed off into composting pits.
9. During inspection no incidence of dumping of waste into the forest land was found.
10. The District Collector and the Local Administration issues Prohibition orders time to time to control the various activities under taken in the resorts specially during new year when large number of tourists visit these places.
11. To monitor the various activities including tourism in the buffer area of the Pench Tiger Reserve a monitoring committee has also been constituted by the ESZ notification 2019 under the chairmanship of Divisional Commission Jabalpur.

Contentions mentioned in this petition were first brought to the notice of monitoring committee and subsequently discussed in the meeting dated 09.12.2024. Copy of the minutes of the meeting of the committee is enclosed as **Annexure-VII**.

12. Recommendation: -

i. No construction of any new resorts shall not be permitted within the 1 Km radius from the core zone area.

ii. It shall be made mandatory for upcoming Resorts to obtain Joint NOC instead of obtaining NOCs from respective departments separately. A separate mechanism may be worked out for issuance of Joint NOC which may include comments from revenue department, forest department, TNCP as well as Gram Panchayat/Gram Sabha. Consent To Establish from the State Pollution Control Board should only be issued on the basis of joint NOC by revenue department, forest department, TNCP as well as Gram Panchayat/Gram Sabha.

iii. All the events involving music/sound shall strictly be organised within the banquet halls and must be in compliance of the Noise Pollution (Regulation and control) Rules, 2000.

iv. As per Noise Pollution (Regulation and control) Rules, 2000 uses of DJ sound/loud music/ Fire crackers during weddings, parties, other big events shall be strictly prohibited. For the enforcement of these rules joint teams consisting personnel's from revenue, forest and police departments shall make surprise visits and take immediate action against the violators.

v. Resorts shall maintain a log book mentioning the quantity of waste generated and handed over to the gram panchayat for disposal on daily basis.

vi. The Gram Panchayat officials must conduct regular visit of the resorts and must take action in cases of non-compliance of the Solid Waste Management Rules, 2016.

vii. The Resorts should endeavour towards zero waste generation system and must adopt eco friendly green practices.

viii. Appropriate Sign Board shall be installed at the entrance/reception of the resorts mentioning relevant rules/regulations/guidelines issued by the local administration from time to time for the effective control of Noise pollution.

ix. The concerned police officials must ensure proper compliance of order dated 13.12.2023

(B.P. Tiwari)
Assistant Director
Pench Tiger Reserve
Seoni

(Alok Kumar Jain)
Regional Officer,
M.P.P.C.B.

(Ms.Poorvi Tiwari)
Deputy Collector
Seoni

ANNEXURE-I

(11) संलग्नक 1

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सिवनी (म.प्र.)

// आदेश //

कमांक 2029 /सिविल सूट /2025 सिवनी, दिनांक 13/03 /2025

माननीय मान0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण ,सेन्ट्रल जोन भोपाल के द्वारा मान0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण ,सेन्ट्रल जोन भोपाल के प्रकरण कमांक 10/2025 (दिनेश ठाकुर विरूद्ध डायरेक्टर पेंच टाईगर रिजर्व सिवनी व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 27.01.2025 के अनुपालन में कलेक्टर जिला सिवनी की ओर से श्रीमती पूर्वी तिवारी,डिप्टी कलेक्टर सिवनी को समस्त प्रशासनिक कार्यवाही हेतु नामांकित किया जाता है ।

13/03/25

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला सिवनी

कमांक / 2029/A/ सि0सूट /2025 सिवनी, दिनांक 13 /03/2025

प्रतिलिपि :-

1. महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
3. सदस्य सचिव, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड , अरेरा कालोनी भोपाल ।
4. सचिव, म.प्र. शासन वन विभाग, मंत्रालय, बल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
5. आयुक्त ,जबलपुर संभाग,जबलपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेपित ।
6. संचालक,पेंच टाईगर रिजर्व सिवनी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
7. आंचलिक अधिकारी,म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जबलपुर की ओर सूचनार्थ ।
8. श्रीमती पूर्वी तिवारी,डिप्टी कलेक्टर सिवनी की ओर पालनार्थ । उक्त प्रकरण में कलेक्टर सिवनी की ओर से समस्त प्रशासनिक कार्यवाही करते हुये अधोहस्ताक्षकर्ता को अवगत कराया जाना सुनिश्चित की जावे ।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी
जिला सिवनी

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र संचालक पेंच टाईगर रिजर्व, सिवनी (म.प्र.)

Phone No. 07692-350003/04, email-fdpenmp.sni@mp.gov.in

//आदेश//

सिवनी/दिनांक/06/3/2025

आदेश क्रमांक/स्था0/98-A

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सेन्ट्रल जोन भोपाल के द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सेन्ट्रल जोन भोपाल के प्रकरण क्र./10/2025 (श्री दिनेश ठाकुर विरूद्ध क्षेत्र संचालक पेंच टाईगर रिजर्व सिवनी व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 27.01.2025 के अनुपालन में क्षेत्र संचालक पेंच टाईगर रिजर्व सिवनी की ओर से **श्री बी.पी. तिवारी सहायक वन संरक्षक,** (छिंदवाडा क्षेत्र) पेंच टाईगर रिजर्व सिवनी को समस्त प्रशासनिक कार्यवाही हेतु नामांकित किया जाता है।

sd/-
मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र संचालक
पेंच टाईगर रिजर्व
सिवनी (म.प्र.)

पृ.क्रमांक/स्था0/1439 सिवनी/दिनांक/06/3/25

प्रतिलिपि :–1. महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की ओर सादर सम्प्रेषित।

2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन विधि एवं विधायी कार्य विभागा, भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण बोर्ड, अरेरा कालोनी भोपाल।
4. सचिव, म.प्र. शासन वन विभाग, मंत्रालय, बल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. आयुक्त, जबलपुर संभाग जबलपुर की ओर सादर सम्प्रेषित।
6. आंचलिक अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जबलपुर की ओर सूचनार्थ।
7. कलेक्टर जिला सिवनी म.प्र. की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
8. **श्री बी.पी. तिवारी सहा.वन संरक्षक छिंदवाडा क्षेत्र पेंच टाईगर रिजर्व** सिवनी म.प्र. की ओर पालनार्थ। उक्त प्रकरण में क्षेत्र संचालक की ओर से समस्त प्रशासनिक कार्यवाही करते हुये अद्योहस्ताक्षरकर्ता को अवगत कराया जाना सुनिश्चित की जावें।

मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र संचालक
पेंच टाईगर रिजर्व
सिवनी (म.प्र.)

E:\Establisment 2017\DD Order 2025.doc.doc

संलग्नक-2

ANNEXURE-II

// पृष्ठ क्रमांक 01 //

प्रति,

1. **श्री आलोक कुमार जैन**
   (क्षेत्रीय अधिकारी)
   म.प्र.प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड
   विजय नगर जबलपुर (म.प्र.)

2. **संचालक**
   पेंच टाईगर रिजर्व सिवनी

3. **प्रतिनिधि**
   जिला कलेक्टर सिवनी

विषय : माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच प्रकरण क्रमांक 10/2025 (CZ) दिनांक 27/01/2025 में परित आदेश के संबंध में।

संदर्भ : आपके द्वारा मुझे तत्संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित पत्र क्रमांक 2275/क्षे.का./प्रनिबो/2025 जबलपुर दिनांक 24/03/2025।

-----00-----

उपरोक्त विषयाकिंत मेरे द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल के समक्ष प्रस्तुत याचिका में दर्ज बेंच प्रकरण क्रमांक 10/2025 (CZ) दिनांक 27/01/2025 में परित आदेश के परिपालनार्थ आपके द्वारा मुझे प्रेषित संदर्भित पत्र के तारतम्य में मेरा आपके समक्ष निम्नानुसार जबाब प्रतिवेदन प्रस्तुत है।

1. यह कि, सिवनी जिले के पेंच टाईगर रिजर्व (राष्ट्रीय उद्यान) अंतर्गत खवासा, टूरिया,कर्माझिरी,जुमतरा में वनभूमि/राजस्व भूमि में बडे–बडे लगभग 40 रिसोर्टो का पक्का निर्माण कराया गया है।
2. यह कि, प्रतिवर्ष लगभग इन रिसोर्टो में लाखो की संख्या में देशी/विदेशी पर्यटक आकर रूकते है,जिनके द्वारा रिसोर्टो में शादियो,जन्मदिन,मीटिंग एवं कार्यशाला सहित अन्य पार्टियो का आयोजन किया जाता है,जिसमें तेज आवाज में डीजे साउंड बजाया जाता है,साथ ही आतिशबाजी भी की जाती है। जिससे कि वनप्राणियो की दिनचर्या प्रभावित होती है और उनमें दहशत बनी रहती है। क्योंकि ज्यातादर रिसोर्ट पेंच टाईगर रिजर्व वन क्षेत्र से लगे हुये है,एवं रात्रि के समय बहुत से वन्य प्राणी रिसोर्टो में होने वाले अधिक ध्वनि प्रदुषण के कारण इधर उधर विचरण करते हुये वनपरिक्षेत्र से लगे हुये गांव,सहित खेत के आसपास के इलाको में पहुंच जाते है। जिससे हमेशा वन्य प्राणियो के जीवन में एवं मानव जीवन में खतरा बना रहता है। कई बार वन्य प्राणियो ने युवा, आदमी सहित महिलाओ का शिकार किया गया है।
3. यह कि,अपर कलेक्टर सिवनी श्री सी.एल.चनाप ने भी पेंच राष्ट्रीय उद्यान के वन्य प्राणी बाहुल्य क्षेत्र में ध्वनि विस्तारक एवं अन्य गतिविधियां प्रतिबंधित संबंधित आदेश समाचार पत्रिका समाचार पत्र में दिनांक 30/12/2024 को प्रकाशित कराया था। इससे स्पष्ट होता है,कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान में नए साल की पार्टी सहित अन्य पार्टियॉ धूमधाम एवं अतिबाजी के साथ होती है। **(समाचार पत्र पत्रिका संलग्न है।)**

4. यह कि, वन क्षेत्र में स्थित रिसोर्टो में होने वाली शादियो सहित अन्य पार्टियो के आयोजन के बाद निकाला अपशिष्ट/खराब खाने सहित शराब की खाली बोतलो को नष्ट करने की किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था न होने के कारण उक्त अपशिष्ट/खराब खाने सहित शराब की बोतलो को रिसोर्ट संचालको द्वारा वन क्षेत्र में ही गड्ढा करके फेंक दिया जाता है।
5. यह कि, जिससे वन्य प्राणी इस अपशिष्ट पदार्थ को खाकर अस्वस्थ हो जाते है,और कभी भी उनकी मृत्यु भी हो जाती है।
6. यह कि,रिसोर्टो से निकलने वाला दूषित पानी की निकासी की भी उचित व्यवस्था नही है,वह दूषित पानी जंगल एवं वन परिक्षेत्र से लगे क्षेत्रो में रिसोर्ट संचालक द्वारा बहाया जाता है। इस दूषित पानी को पीकर जंगल के वन्य जीव बीमार होते है,जिससे कई बार उनकी मृत्यु भी हो जाती है।

मेरे उपरोक्त प्रतिवेदनानुसार केन्द्र शासन एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा वन्य प्राणियो के संरक्षण हेतु बनाये गये नियम/कानून एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत पेंच टाईगर रिजर्व (राष्ट्रीय उद्यान) के खवासा, टूरिया,कर्माझिरी,जुमतरा में वनभूमि/राजस्व भूमि में बने हुये लगभग 40 रिसोर्टो के विरूध्द तत्काल कार्यवाही की जाकर उनको वन एवं राजस्व भूमि से हटाया जाये एवं रिसोर्ट संचालको पर जुर्माने की कार्यवाही भी प्रस्तावित की जाये।

दिनांक : 26/03/2025

संलग्न :

1. पेंच टाईगर रिजर्व के खवासा, टूरिया,कर्माझिरी में स्थित रिसोर्टो में आयोजित होने वाले विवाह कार्यक्रम की **फोटो**।
2. पेंच टाईगर रिजर्व के खवासा, टूरिया,कर्माझिरी में स्थित रिसोर्टो में आयोजित हो ने वाले विवाह कार्यक्रम के स्टेज एवं स्टेज के बाजू में लगे डी.जे. साउंड एवं आतिशबाजी की **फोटो**।
3. पेंच टाईगर रिजर्व के खवासा, टूरिया,कर्माझिरी में स्थित रिसोर्टो में आयोजित होने वाले वैवाहिक कार्यक्रम (बारात/हल्दी/मेंहदी) ढोल,नागडे की **फोटो**।

दिनेश ठाकुर
सत्यम भवन फैशन चौक
महाराज बाग भैरोगंज सिवनी
जिला सिवनी (म.प्र.) 480661
मोबाईल नंबर : 9425036932
9424836932

(14)

पत्रिका

आदेश : पेंच के वन्यप्राणी बाहुल्य क्षेत्र में ध्वनि विस्तारक एवं अन्य गतिविधियां प्रतिबंधित

एक सप्ताह तक नहीं होगी धूमधाम या पार्टी

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

सिवनी. पेंच टाइगर रिजर्व और इससे सटे जंगलों में अगले एक सप्ताह तक जाने और नए साल की पार्टी या कोई धूमधाम की तैयारी करने वालों पर कार्रवाई हो सकती है। प्रशासन ने इस वन्यप्राणी बाहुल्य क्षेत्र में ध्वनि विस्तारक एवं अन्य गतिविधि प्रतिबंधित कर दी है। आदेश के पालन में लापरवाही बर[illegible]र कार्रवाई का सामना करना पड़[illegible]ता है।

अपर कलेक्टर सीएल चिनाप ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी एक जनवरी को नए वर्ष का उत्सव मनाया जाना है। अनुविभाग कुरई अंतर्गत पेंच टाइगर रिजर्व के कोरजोन एवं बफर जोन एवं चिह्नित

पेंच पार्क में प्रवेश करते सैलानी।

ईको सिन्सेटिव जोन, अतिसंवेदनशील वन्य प्राणी बाहुल्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वन्यप्राणियों के दैनिक क्रियाकलाप एवं मानसिक संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े एवं यहां के आमजन की दैनिक गतिविधियां, आसपास लोगों तथा विदेश से आए सैलानियों को कोई असुविधा या समस्या न हो। इन सब विषयों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि संरक्षित क्षेत्र के समीप स्थापित होटल, लॉज, रिसोर्ट में वैवाहिक कार्यक्रम, जुलूस, रैली, धरना प्रदर्शन, खेल प्रतियोगिता, पटाखे, पार्टी, टीवी, एलसीडी या चलित वाहन आदि में तीव्र ध्वनि विस्तार यंत्रों को संचालन को नियंत्रित किया जाएगा। इस अवधि के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था, लोक तथा सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो, जिससे किसी भी तरह की शांति भंग होने या लोगों के बीच विवाद की स्थिति निर्मित होने की संभावना उत्पन्न नहीं होनी चाहिए।

पार्टी-पटाखे, शोर करने पर रहेगी नजर

अपर कलेक्टर ने बताया कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान, कोर जोन एवं बफर जोन तथा चिह्नित ईको सिन्सेटिव जोन, अतिसंवेदनशील वन्यप्राणी बाहुल्य क्षेत्र को देखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत संरक्षित क्षेत्र के समीप वैवाहिक कार्यक्रम, जुलूस, रैली, धरना प्रदर्शन, खेल प्रतियोगिता, पटाखे, पार्टी, टीवी, एलसीडी या चलित वाहन आदि में ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग 29 दिसम्बर 2024 की प्रातः 12 बजे से 5 जनवरी 2025 की शाम 5 बजे तक पूर्णः प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए गए हैं। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा के अंतर्गत यह आदेश एक पक्षीय पारित किया गया है। प्रतिबंधित अवधि के इस एक सप्ताह में प्रशासन, पेंच व वन कर्मियों व पुलिस की निगरानी रहेगी।

सड़क या जंगल में भी शोर करने पर होगी कार्रवाई

इस अवधि के दौरान पेंच व इससे जुड़े क्षेत्र में सड़क पर, जंगल, नदी के समीप किसी भी प्रकार की अनाधिकृत गतिविधि, उपद्रव, पार्टी, शराब पीकर गाड़ी चलाने, 10 से अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा पाए जाने अथवा किसी भी प्रकार की गतिविधि जिससे आमजन तथा सैलानियों को असुविधा या समस्या हो अथवा वन प्राणियों दैनिक क्रियाकलाप पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े अथवा किसी भी प्रकार से कानून एवं शांति व्यवस्था को बाधित किया जाता है तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।

Seoni, 30/12/2024, Page 01

© 2025 All Rights Reserved. Powered by Summit

(15)

① मेसर्स ओलिव रिसार्ट, ग्राम दूरिया जिला-सिवनी

(16)

(2) मेसर्स पेंच इन्टरनेशनल रिसार्ट, ग्राम टुरिया तहसील कुरई सिवनी

③ मेसर्स तथास्तु रिसार्ट ग्राम टुरिया जिला सिवनी

④ मेसर्स मृगनयनी रिसार्ट ग्राम टुरिया जिला सिवनी

(18)

) मेसर्स गजराज रिसॉर्ट सिवनी

(6) मेसर्स गजराज रिसॉर्ट सिवनी (7) मेसर्स ओलिव रिसॉर्ट सिवनी

पंचनामा

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण सेन्ट्रल जोन भोपाल के प्रकरण क्र. 10/2025 दिनांक 27/1/2025 को पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य मे संयुक्त निरीक्षण दल, जिला कलेक्टर सिवनी के प्रतिनिधि श्रीमति पूर्वी तिवारी डिप्टी कलेक्टर सिवनी, क्षेत्र संचालक पेंच टायगर रिजर्व सिवनी के प्रतिनिधि श्री भागवती प्रसाद तिवारी सहायक संचालक तथा क्षेत्रीय अधिकारी म०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जबलपुर की संयुक्त निरीक्षण दल के समक्ष दिनांक 26/03/2025 को खवासा गेट के पास प्रकरण के संबंधित जानकारी हेतु श्री दिनेश ठाकुर शिकायतकर्ता द्वारा उपस्थित होकर जानकारी दी गई। श्री दिनेश ठाकुर द्वारा प्रतिवेदन तथा फोटोग्राफ दिए गए। प्रकरण के संबंध में बैठक आयोजित की गई जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा विस्तृत चर्चा की गई तथा जानकारी भी दी गई।

[signature] 26/03/25 Dy. Coll. Seoni

[signature] 26/3/25 (Bhagvati Pd Tiwari)

[signature] (Alok Jain)

[signature] Dinesh Thakur

[signature] 26/03/25

(20)

पंचनामा

आज दिनांक 26/03/2025 को जिला प्रशासन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा वन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दपेयं इंटरनेशनल रिसोर्ट ग्राम कुरिया पोस्ट कुरिया तहसील कुरई जिला सिवनी का निरीक्षण श्री आशीष तिवारी मैनेजर की उपस्थिति में किया गया। निरीक्षण के समय रिसोर्ट से निकलने वाला दूषित जल के उपचार हेतु स्थापित (एस.टी.पी.) सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बंद पाया गया। घरेलू दूषित जल बिना उपचार के परिसर में भंडारित पाया गया जोकि पास की जमीन में था। निरीक्षण के समय तीन ढोलक तबला उनको बजाने वाले एवं कुई लोग उपस्थित पाए गए। रिसोर्ट परिसर में एक वाटर पार्क भी बनाया गया है जिसकी फोटो ग्राफ लिए गए। मैनेजर द्वारा बताया गया कि समय-समय पर शादी पार्टियां होती हैं। हाल में छोटे-छोटे कार्यक्रम होते हैं जोकि साउण्ड प्रूफ हाल बनाया गया है।

Ashish Kumar Tiwari
9893375691

MAHENDRA AGNIHOTRI

पूजा तिवारी
26-03-025

रोहित 6ाउरे
26/03/2025

ARJUN Thapa
9202350096

पंचनामा (21)

आज दिनांक 02/04/025 को जिला प्रशासन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा वन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा ग्राम कुरिया पोस्ट कुरिया तहसील कुरई जिला सिवनी के अंतर्गत ग्राम पंचायत कुरिया द्वारा संचालित अपशिष्टों का डिस्पोजल यूनिट (MRF) का निरीक्षण किया गया। पाया कि ग्राम पंचायत कुरिया के द्वारा रिसोर्ट से निकलने वाला ठोस अपशिष्टों (प्लास्टिक बेग ग्लास बेकबोतल आदि) को अलग अलग करके डिस्पोज किया जाता है। जिसमें प्लास्टिक तथा काँच की बोटल को कबाड़ी के माध्यम से रिसाइकिल के लिये भेजा जाता है। किचिन वेस्ट तथा गीला कचरा को खाद बनाने हेतु कम्पोस्ट पिट बनाया गया।

अतः पंचनामा मौके पर तैयार किया गया।

कीर्तिका रकुड़साम
(सरपंच)

Pity
(सदस्य अध्यक्ष)

[signature] DCF
Pench Tiger Reserve Seoni

[signature]
Alok Jain

सोहनलाल

हीरालाल
(कोटवार)

पंचनामा

(22)

आज दिनांक 02/04/2025 को जिला प्रशासन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा वन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा जंगल होम रिसोर्ट ग्राम आवरघानी पोस्ट टुरिया तहसील कुरई जिला सिवनी का निरीक्षण कृष्ण कुमार पटले (G.M) की उपस्थिति में किया गया। निरीक्षण के समय रिसोर्ट से निकलने वाला दूषित जल के लिए 9 सोक पिट पाये गये। छोटे छोटे कार्यक्रम हाल में होते हैं। रिसोर्ट से निकलने वाले अपशिष्ट को डिस्पोजल ग्राम पंचायत टुरिया द्वारा संचालित डिस्पोजल साइट में किया जाता है। यहाँ पर शादियाँ नहीं होती प्रतिबंधित है। डी.जे. साउंड बंद करके कमरे में छोटे बाक्स में होता है। डी.जे. साउंड प्रतिबंधित है। मौके पर दो बड़े साउंड बाक्स पाये गये।

अतः पंचनामा मौके पर तैयार किया गया।

[signature] DCF PTR Seoni

1 Krishna Kumar Patle
[signature] 9685697298
JUNGLE HOME PENCH
VILL AWARGHANI
TURIA SEONI (M.P)

[signature] 02/04/25 Dy. Lab. Seoni

(4) Anuj Nath
[signature] 8120606173

2. Vinod Sodaskur
[signature] - 9926724481

(5) Vijay Joshi
9458348770
[signature]

(3) Ashish Kondway
7820035861
[signature]

(23)

नियम 9 देखिए

प्रारूप क्रमांक ग्रा.प.ले. 1

रसीद ग्राम पंचायत

रसीद क्रमांक ....

पुस्तक क्रमांक

तारीख 12/03/2025

ग्राम पंचायत ...... टुरिया ......

श्री/श्रीमती/कुमारी ...... पेंच जंगल होम टुरिया ...... पिता/पति

निवासी ...... गारबेज परिवहन शुल्क ...... से रु. ...... 8400=00 ......

शब्दों में रुपये ...... आठ हजार चार सौ रुपये ...... मात्र

माध्यम नगद/चैक/मा.ड्राफ्ट क्र. ...... चैक ...... दिनांक 12/03/2025

...... बैंक ...... के माध्यम से प्राप्त किये।

अदाकर्ता ...... माह फरवरी 2025

रु. 8400/-

सचिव/लेखापाल

हस्ताक्षर सरपंच

सचिव
ग्राम पंचायत टुरिया
जनपद पंचायत करई

पंचायत के समस्त रजिस्टर एवं फार्म मिलने का एकमात्र स्थान - न्यू गुप्ता स्टेशनर्स सिवनी फोन : 222002

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
जल शक्ति मंत्रालय
भारत सरकार
DEPARTMENT OF DRINKING WATER AND SANITATION
MINISTRY OF JAL SHAKTI
GOVERNMENT OF INDIA

पर्यटन मंत्रालय
MINISTRY OF TOURISM

स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग
Swachhata Green Leaf Rating

मान्यता प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि पेंच जंगल होम रिसोर्ट/होटल/लॉज/होमस्टे/धर्मशाला/ कैंप/ डब्लू.एस.ए आतिथ्य सुविधा में स्वच्छता ग्रीन लीफ़ रेटिंग प्रणाली में स्वैच्छिक रूप स भाग लिया एवं स्वच्छ पर्यटन को बढ़ावा देने में सराहनीय योगदान दिया है।

Certificate of Recognition

This is to certify that Pench Jungle Home Resort/Hotel/Lodge/Homestay /Dharmshala/Camp/WSA has voluntarily participated in Green Leaf Rating system for hospitality sector and contributed to cleaner and more sustainable tourism practices.

3 Leaf

....

Collector, ...

Signature

ग्राम पंचायत एवं पेंच रिसोर्ट एसोशियशन के बीच अनुबंध के निम्न बिन्दु

1. कचरा कलेक्शन हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा ट्रेक्टर एवं ई रिक्शा द्वारा उठाव का कार्य किया जायेगा, जिसमे रोड स्थित रिसोर्ट मे ई रिक्शा एवं इनटीरियर मे ट्रेक्टर के द्वारा कचरा उठाव का कार्य किया जावेगा।
2. रिसोर्ट से निकलने वाले कचरा का परिवहन प्रति रूट के हिसाब से सप्ताह मे 03 दिवस कराया जायेगा।
3. रिसोर्ट प्रबंधन रिसोंट मे कचरा संग्रहण वाहन पहुचने से अधिकतम 05 से 10 मिनिट के भीतर वाहन मे कचरा डालना अनिवार्य है, निर्धारित समय से अधिक समय लगाने पर वाहन उस दिन बिना कचरा के वापिस हो जावेगा।
4. रिसोर्ट प्रबंधन द्वारा कचरा उठाने का प्रति माह व्यय राशि का भुगतान प्रति माह 01 तारीख से 05 तारीख के मध्य ग्राम पंचायत को शुल्क का भुगतान आनलाईन व ऑफलाईन कर ग्राम पंचायत से रसीद प्राप्त करेंगें। यदि माह की 05 से 10 तारीख तक राशि जमा नही करने की स्थिति 10 रूपये प्रति कमरें की दर से अतिरिक्त जमा किया जायेगा।
5. ग्राम पंचायत द्वारा निर्णय लिया गया कि रिसोर्ट में कमरों की संख्या मे आधार पर शुल्क 250 रूपये प्रति कमरा प्रति माह देय होगा।
6. रिसोर्ट में पार्टी, शादी NEW YEAR या अन्य आयोजन पर रिसोर्ट को पंचायत से अग्रिम अनुमति लेनी होगी तथा 2000 रूपये जमा करना होगा। जिसके उपलक्ष्य मे ग्राम पंचायत सुनिश्चित दिन पर उनके कचरें संग्रहन के लिए वाहन उपलब्ध करायेगा।
7. कचरा प्रबंधन जिसमे गीला एवं सूख कचरा को अलग–अलग व्यवस्थित करना एवं रंग अनुसार पैकेट गेंट मे तैयार रखने की समस्त जवाबदारी/जिम्मेदारी रिसोर्ट प्रबंधन होगी।
8. लॉकडाउन, बारिश का मौसम या अन्य निर्मित स्थिति मे भी रिसोर्ट प्रबंधन को निर्धारित शुल्क का भुगतान ग्राम पंचायत को देय होगा।
9. रिसोर्ट एसोशियेशन के द्वारा प्रदाय की गई सत्यापित समस्त रिसोंट एवं कमरे की सूची के आधार पर कचरा कलेक्शन का कार्य किया जावेगा।
10. अनुबंध में निर्धारित दरों का पुनः निर्धारण एक वित्तीय वर्ष पश्चात 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ की जावेंगी।
11. समय पर कार्य हो (कचरा उठाव कराना) का निरीक्षण क्षेत्रीय ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत सचिव),ब्लाक समन्यवक (स्वच्छ भारत मिशन) द्वारा किया जावेगा।
12. उपरोक्त शर्तो एवं कार्यो/समस्या की समीक्षा मासिक/तिमाही आधार पर रिसोर्ट एसोशियेशन/जनपद पंचायत कुरई/स्वच्छ भारत मिशन/ग्रामीण आजीविका मिशन के अधिकारियों एवं पदाधिकारियों की बैठक की जावेगी।
13. उक्त दोनों पक्षों के माध्य कोई विवाद की स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय जिला पंचायत सिवनी का निर्णय सर्व मान्य होगा।

(26)

माह के प्रारंभ मे ही अग्रिम भुगतान रिसोंट प्रबंधन पचायत को करेगें।

15. जुलाई, अगस्त सितम्बर मे कचरा संग्रहन का कार्य हफ्ते मे एक दिन किया जायेगा।

16. 100 रुपये प्रति कमरे की दर पर जुलाई, अगस्त सितम्बर मे कचरा संग्रहन किया जायेगा।

17. वाट्सप ग्रुप का गठन करके हर रिसोर्ट को तकनीकि मदद, सुझाव एवं उनकी समस्याओं / शिकायतो पर समाधान किया जायेगा।

18. सभी रिसोर्ट, ढाबा एव रेस्टारेंट मे 50 किलो से ज्यादा की गार्बेज बैग यूज करने की अनुमति नही होगी।

19. सभी रिसोर्ट, ढाबा एवं रेस्टोरेंट को 06 माह का ऐग्रीमेंट करना होगा एवं उन्हें 06 माह तक तय किए गये दर पर मासिक भुगतान करना होगा, तथा 06 माह की समय अवधि से पूर्व ऐग्रीमेंट समाप्त नही किया जा सकेगा।

20. हर 06 माह मे कचरा संग्रहन मे जुडे सभी रिसोट के समय पर भुगतान, सहयोग / सामजस्य व कचरा नियोजन पर रैंकिग जारी की जायेगी एव उन्हे ग्राम पचायत द्वारा प्रमाण पत्र दकर प्रोत्साहित किया जायेगा।

01/03/2022

Bhuf. – Room. 28.

01/03/22.

9685697298

27

प्रारूप क्रमांक ग्रा.प.ले. 1

नियम 9 देखिए

रसीद ग्राम पंचायत

पुस्तक क्रमांक

रसीद क्रमांक 81

तारीख 26/02/2025

ग्राम पंचायत टुरिया

श्री/श्रीमती/कुमारी पेंच जंगल होम रिसॉर्ट पिता/पति

निवासी गारबेज परिवहन शुल्क से रु. 8400/-

शब्दों में रुपये आठ हजार चार सौ रुपये — मात्र

माध्यम नगद/चैक/मा.ड्राफ्ट क्र. बैंक दिनांक 11/02/2025

अदाकर्ता [माह जनवरी 2025] के माध्यम से प्राप्त किये।

रु. 8400/-

सचिव/लेखापाल

हस्ताक्षर सरपंच

पंचायत के समस्त रजिस्टर एवं फार्म मिलने का एकमात्र स्थान – न्यू गुप्ता स्टेशनर्स सिवनी फोन : 222002

28

पंचनामा

आज दिनांक 02/04/2025 को जिला प्रशासन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा वन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा अलिव रिसोर्ट ग्राम आवरघानी पोस्ट टुरिया तहसील कुरई जिला सिवनी का निरीक्षण ओमकारनाथसिंह (M.D) की उपस्थिति में किया गया। निरीक्षण के समय रिसोर्ट से निकलने वाला दूषित जल के उपचार हेतु स्थापित (एस.टी.पी.) सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चालू पाया गया। शादियाँ होती है जो कि हाल (वेंकटेश) हॉल में बंद में होती है और की साउंड कम होता है। यहाँ पर शादियों में डी.जे. साउंड एवं पटाखे प्रतिबंधित है। छोटे-छोटे कार्यक्रम हॉल में होते है। रिसोर्ट से निकलने वाले ठोस अपशिष्ट का डिस्पोजल ग्राम पंचायत टुरिया द्वारा संचालित डिस्पोजल साइट में किया जाता है। शिकायत कर्ता के द्वारा दी गई फोटोग्राफ को मैनेजर द्वारा बतलाया गया कि उक्त फोटो वर्ष 2020-21 की है। उक्त फोटोग्राफ्स पुराने है। वर्तमान के ~~[illegible]~~ नहीं है। डी.जे. साउंड का संचालन नहीं किया जाता।

अतः पंचनामा मौके पर तैयार किया गया।

Omkar Nath Singh
9516349200

DCF
PTR Seoni

2/4/25
CA [illegible]

RAJU
VISHAL
NITESH
KULDEEP

02/04/25
Dy. Coll. & [illegible]

प्रारूप क्रमांक ग्रा.प.ले. 1 नियम 9 देखिए

रसीद ग्राम पंचायत

क्र. 73

पुस्तक क्रमांक रसीद क्रमांक

तारीख 07/02/2025

ग्राम पंचायत टुरिया

श्री/श्रीमती/कुमारी आलिव रिसोर्ट अपरमनी पिता/पति

निवासी गारवेज परिवहन शुल्क से रु. 17700/-

शब्दों में रुपये सत्रह हजार सात सौ रुपये — मात्र

माध्यम नगद/चेक/मा.ड्राफ्ट क्र. बैंक दिनांक 07/02/2025

अवधि [माह जनवरी 2025] के माध्यम से प्राप्त किये।

रु. 17700/-

सचिव
सचिव/लेखापाल
ग्राम पंचायत टुरिया
जनपद पंचायत करई

हस्ताक्षर सरपंच

पंचायत के समस्त रजिस्टर एवं फार्म मिलने का एकमात्र स्थान – न्यू गुप्ता स्टेशनर्स सिवनी फोन : 222002

(29)

प्रारूप क्रमांक ग्रा.प.ले. 1

पंचायत के समस्त रजिस्टर एवं फार्म मिलने का एकमात्र स्थान - म.गुप्ता स्टेशनर्स मिलने कोड : 282002

रसीद ग्राम पंचायत

पुस्तक क्रमांक

रसीद क्रमांक 95

तारीख 11/03/2025

ग्राम पंचायत दुरिया

श्री/श्रीमती/कुमारी आलिव रिसॉर्ट खवासा पिता/पति

निवासी प्रासंगिक परिवहन शुल्क से रु. 17700=00

शब्दों में रुपये सत्रह हजार सात सौ रुपये मात्र

माध्यम नगद/चैक/मा.ड्राफ्ट क्र. चैक दिनांक 06/03/2025

अदाकर्ता [माह फरवरी 2025] के माध्यम से प्राप्त किये।

रु. 17700/-

सचिव/लेखापाल
सचिव
ग्राम पंचायत दुरिया
जनपद पंचायत कुरई

हस्ताक्षर सरपंच

कार्यालय ग्राम पंचायत दुरिया

30

(31)

पंचनामा

आज दिनांक 02/04/025 को जिला प्रशासन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा वन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा गजराज रिसोर्ट ग्राम टुरिया पोस्ट-टुरिया तहसील कुरई जिला सिवनी का निरीक्षण ओमवीर चौधरी (GM) की उपस्थिति में किया गया। निरीक्षण के समय रिसोर्ट से निकलने वाला दूषित जल के लिए सोक पिट बनाये गये हैं। रिसोर्ट में शादियाँ होती हैं। जिसमें डी.जे. प्रतिबंधित है। छोटे छोटे कार्यक्रमों के लिए हॉल ~~[illegible]~~ है जो कि साउंडप्रूफ है। रिसोर्ट से निकलने वाला अपशिष्ट का डिस्पोजल ग्राम पंचायत टुरिया द्वारा संचालित डिस्पोजल साइट में किया जाता है।

अतः पंचनामा मौके पर तैयार किया गया।

[signature] OMVEER CHOUDHARY
9691634243

[signature]
02/04/25
DCF Buffer PTR Seoni
Dy. Coll. Seoni

[signature] Mularwar

[signature] DAHARWAL

3 Rakesh Boorve [signature]

(32)

नियम 9 देखिए

प्रारूप क्रमांक ग्रा.प.ले. 1

रसीद ग्राम पंचायत

पुस्तक क्रमांक

रसीद क्रमांक ....

तारीख 04/10/2024

ग्राम पंचायत .... तुरिया

श्री/श्रीमती/कुमारी द गजराज रिसॉर्ट तुरिया पिता/पति ....

निवासी गारबेज परिवहन शुल्क से रु. 7200/-

शब्दों में रुपये सात हजार दो सौ रुपये मात्र

माध्यम नगद/चेक/मा.ड्राफ्ट क्र. नगद दिनांक 04/10/2024

अदाकर्ता [माह सितम्बर 2024] के माध्यम से प्राप्त किये।

रु. 7200/-

सचिव/लेखापाल

हस्ताक्षर सरपंच

CASH / DEBIT VOUCHER

Garbeg payment (kachara)- grampanchayat turiya (September 24)(7200)

नियम 9 देखिए

प्रारूप क्रमांक ग्रा.प.ले. 1

रसीद ग्राम पंचायत

पुस्तक क्रमांक

रसीद क्रमांक 07/02/2025

तारीख ....

ग्राम पंचायत .... तुरिया

श्री/श्रीमती/कुमारी गारबेज परिवहन शुल्क पिता/पति ....

निवासी द गजराज रिसॉर्ट तुरिया 7200/-

शब्दों में रुपये सात हजार दो सौ रुपये — मात्र

माध्यम नगद/चेक/मा.ड्राफ्ट क्र. नगद दिनांक 07/02/2025

अदाकर्ता [माह जनवरी 2025] के माध्यम से प्राप्त किये।

रु. 7200/-

सचिव/लेखापाल

हस्ताक्षर सरपंच

Garbeg payment - kitchen food - january 25

33

प्रारूप क्रमांक ग्रा. प. ले. 1

रसीद ग्राम पंचायत

पुस्तक क्रमांक

रसीद क्रमांक

तारीख

ग्राम पंचायत डुरिया

श्री / श्रीमती / कुमारी आनाराजा रिसॉर्ट डुरिया पिता/पति

निवासी ने परिवहन शुल्क से रु. 7200=00

शब्दों में रुपये सात हजार दो सौ रुपये — मात्र

माध्यम नगद / चेक / मा. ड्राफ्ट क्र. नगद दिनांक 11/03/2025

अदाकर्ता [माह फरवरी 2025] के माध्यम से प्राप्त किये।

रु. 7200=00

सचिव
ग्राम पंचायत डुरिया
जनपद पंचायत कुर्द

हस्ताक्षर सरपंच

कार्यालय ग्राम पंचायत डुरिया

प्रारूप क्रमांक ग्रा. प. ले. 1

रसीद ग्राम पंचायत

पुस्तक क्रमांक

रसीद क्रमांक

तारीख

ग्राम पंचायत डुरिया

श्री / श्रीमती / कुमारी द आनाराजा रिसॉर्ट डुरिया पिता/पति

निवासी आर.अ.ज. परिवहन शुल्क से रु. 7200/-

शब्दों में रुपये सात हजार दो सौ रुपये — मात्र

माध्यम नगद / चेक / मा. ड्राफ्ट क्र. नगद दिनांक 06/01/2025

अदाकर्ता [माह दिसम्बर 2024] के माध्यम से प्राप्त किये।

रु. 7200/-

सचिव / ग्राम पंचायत डुरिया
जनपद पंचायत कुर्द

हस्ताक्षर सरपंच

कार्यालय ग्राम पंचायत डुरिया
दि. 06/01/2025

(34)

प्रारूप क्रमांक ग्रा. प. ले. 1

रसीद ग्राम पंचायत

रसीद क्रमांक ....

तारीख 06/11/2024

पुस्तक क्रमांक

ग्राम पंचायत हरिया

श्री / श्रीमती / कुमारी [illegible] पिता / पति

निवासी [illegible] परिवहन शुल्क ...... से रु. 7200/-

शब्दों में रुपये सात हजार दो सौ रुपये .... मात्र

माध्यम नगद / चैक / मा. ड्राफ्ट क्र. नगद .... दिनांक 06/11/2024 के माध्यम से प्राप्त किये।

अदाकर्ता [माह अक्टूबर 2024]

रु. 7200/-

सचिव / लेखापाल
ग्राम पंचायत [illegible]
जनपद पंचायत [illegible]

हस्ताक्षर सरपंच

नियम ७ देखिए

प्रारूप क्रमांक ग्रा. प. ले. 1

रसीद ग्राम पंचायत

रसीद क्रमांक ....

तारीख 06/10/2024

पुस्तक क्रमांक

ग्राम पंचायत हरिया

श्री / श्रीमती / कुमारी [illegible] हरिया पिता / पति

निवासी [illegible] परिवहन शुल्क से रु. 7200/-

शब्दों में रुपये सात हजार दो सौ रुपये मात्र

माध्यम नगद / चैक / मा. ड्राफ्ट क्र. नगद .... दिनांक 06/10/2024 के माध्यम से प्राप्त किये।

अदाकर्ता [माह सितम्बर 2024]

रु. 7200/-

सचिव / लेखापाल
जनपद पंचायत [illegible]

हस्ताक्षर सरपंच

पंचनामा (35)

आज दिनांक 02/04/2025 को जिला प्रशासन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा वनविभाग की संयुक्त टीम द्वारा तथास्तु रिसोर्ट, ग्राम आवरगानी पोस्ट कुरिया तहसील कुरई जिला सिवनी का निरीक्षण श्रीमति सुमली भट्टाचार्य (G.M.) की उपस्थिति में किया गया। निरीक्षण के समय रिसोर्ट से निकलने वाले दूषित जल के उपचार हेतु स्थापित (एस.टी.पी.) सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चालू पाया गया। शादीयाँ होती है जो कि बंद हाल में होता है डी.जे. साउंड का उपयोग नहीं होता है छोटे-छोटे कार्यक्रम होता है जो कि साउंड प्रूफ हाल में होता है। गिटारिस्ट का कार्यक्रम (सिंगल गिटारिस्ट) ओपन में होता है। बिना किसी आर्टिफिशियल साउंड के। रिसोर्ट से निकलने वाले ठोस अपशिष्ट का डिस्पोजल ग्राम पंचायत कुरिया द्वारा संचालित डिस्पोजल साइट में किया जाता है।

अतः पंचनामा मौके पर तैयार किया गया।

सुमली भट्टाचार्य (M.D.) 8349992730

Ratan
रतन तनक 9561724494

नवनीत सोनी

रतनेश तिवारी

निखिल बोम्बे

02/04/25
Dy. Coll. Seoni

2/4/25
Alok Jain

DCF
PTR Seoni

(37)

(36)

प्रारुप क्रमांक ग्रा.पं.ले.-1

नियम 9 देखिये

रसीद

कार्यालय ग्राम पंचायत ......टुरिया......

क्रमांक 097

बुक क्रमांक

ग्राम पंचायत ......टुरिया...... तारीख ......

श्री / श्रीमती / कुमारी ......तथास्तु रिसोर्ट...... पिता / पति ......अबरशली......

निवासी ......गारवेज परिवहन शुल्क जमा प्राप्त......

रुपये ......17700/-...... (शब्दों में) ......सत्रह हजार सात सौ रुपये मात्र......

माध्यम नगद / चेक / बा.क्र. ......बैंक...... तारीख ......08/04/2024......

अदाकर्ता बैंक ......[माह अप्रैल 2024]...... के माध्यम से प्राप्त किये।

सचिव / लेखापाल
ग्राम पंचायत ......

सरपंच
ग्राम पंचायत ......

सचिव
ग्राम पंचायत टुरिया

प्रारुप क्रमांक ग्रा.पं.ले.-1

नियम 9 देखिये

रसीद

कार्यालय ग्राम पंचायत ......टुरिया......

क्रमांक ......[illegible]......

बुक क्रमांक ......

ग्राम पंचायत ......टुरिया...... तारीख ......04/05/2024......

श्री / श्रीमती / कुमारी ......तथास्तु, रिसोर्ट...... पिता / पति ......अबरशली......

निवासी ......गारवेज परिवहन शुल्क जमा......

रुपये ......17700/-...... (शब्दों में) ......सत्रह हजार सात सौ रुपये मात्र......

माध्यम नगद / चेक / बा.क्र. ......बैंक...... तारीख ......04/05/2024......

अदाकर्ता बैंक ......[माह मई 2024]...... के माध्यम से प्राप्त किये।

सचिव / लेखापाल
ग्राम पंचायत ......

सरपंच
ग्राम पंचायत ......

सचिव
ग्राम पंचायत टुरिया

ANNEXURE-IV

संलग्नक-4

(का.) 07692 - 220444

(नि.) 07692 - 220301

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सिवनी (म.प्र.)

क्रमांक/ 8459 /एस.डब्ल्यू./2024 सिवनी ,दिनांक 29 दिसम्बर, 2024

–:आदेश:–

(अंतर्गत धारा–163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023)

प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी दिनांक 01.01.2025 को नये वर्ष का पर्व मनाया जाना है। अनुविभाग कुरई अंतर्गत पेंच राष्ट्रीय उद्यान, कोरजोन एवं बफर जोन एवं चिहिन्त ईको सिन्सेटिव जोन, अतिसंवेदनशील वन्य प्राणी बाहुल्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वन्यप्राणियों के दैनिक क्रियाकलाप एवं मानसिक संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े एवं यहां के आमजन की दैनिक गतिविधियां,आसपास लोगों तथा विदेश से आये सैलानियों को कोई असुविधा या समस्या न हो को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक है कि, संरक्षित क्षेत्र के समीप स्थापित होटल/लॉज/रिसोर्ट में वैवाहिक कार्यक्रम,जुलूस रैली,धरना प्रदर्शन,खेल प्रतियोगिता,पटाखे, पार्टी,टीव्ही,एल.सी.डी. या चलित वाहन आदि में तीव्र ध्वनि विस्तार यंत्रों को संचालन को नियंत्रित किया जाना एवं उक्त अवधि के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था,लोक तथा सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो, जिससे लोक परिशांति भंग होने या लोकजन के मध्य विवाद की स्थिति निर्मित होने की संभावना उत्पन्न न होवें।

अतः पेंच राष्ट्रीय उद्यान,कोरजोन एवं बफरजोन तथा चिहिन्त ईको सिन्सेटिव जोन, अतिसंवेदनशील वन्यप्राणी बाहुल्य क्षेत्र को दृष्टिगत रखते हुए **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163** के अंतर्गत संरक्षित क्षेत्र के समीप वैवाहिक कार्यक्रम,जुलूस, रैली, धरना प्रदर्शन,खेल प्रतियोगिता, पटाखें, पार्टी, टीव्ही, एल.सी.डी. या चलित वाहन आदि में ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग **आज दिनांक 29.12.2024 प्रातः 12:00 बजे से दिनांक 05.01.2025 शाम 05:00 बजे तक पूर्णः प्रतिबंधित किया जाता है।**

यह आदेश तत्काल प्रसारित किया जाना आवश्यक है ऐसी स्थिति में सभी संबंधित व्यक्तियों को सुना जाना संभव नही न ही मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियां है जिससे उक्त आदेश सम्यक् रूप से व्यक्तिशः तामिल कराया जा सके अतः **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(2)** के अंतर्गत यह आदेश एकपक्षीय पारित किया जाता है। उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

साथ ही इस अवधि के दौरान उक्त क्षेत्र में सड़क पर/ जंगल/नदी के समीप किसी भी प्रकार की अनाधिकृत गतिविधि/उपद्रव/पार्टी/शराब पीकर गाड़ी चलाने/10 से अधिक व्यक्तियों को जमावड़ा पाये जाने अथवा किसी भी प्रकार की गतिविधि जिससे आमजन तथा सैलानियों को असुविधा/समस्या हो अथवा वन प्राणियों दैनिक क्रियाकलाप पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े अथवा किसी भी प्रकार से कानून एवं शांति व्यवस्था को बाधित किया जाता है तो **भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223** के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सिवनी

पृ0 कमांक/8459ए /एस.डब्ल्यू./2024 सिवनी, दिनांक 29 दिसम्बर, 2024

प्रतिलिपि :–

1– कलेक्टर महोदय सिवनी की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2– पुलिस अधीक्षक सिवनी की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3– अपर जिला मजिस्ट्रेट सिवनी/लखनादौन को सूचनार्थ प्रेषित ।
4– अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिवनी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5– उपखण्ड मजिस्ट्रेट सिवनी/कुरई/ बरघाट/केवलारी/लखनादौन/घंसौर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
6– समस्त अनुविभागीय अधिकारी(पुलिस) जिला सिवनी।
7– कार्यपालिक मजिस्ट्रेट सिवनी/ कुरई/ बरघाट/ केवलारी/ छपारा/ लखनादौन/ घंसौर/धनौरा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
8– समस्त विभाग प्रमुख जिला सिवनी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
9– समस्त थाना प्रभारी जिला सिवनी की ओर आवश्यक कार्यवाही।
10– सहायक संचालक जिला जनसम्पर्क सिवनी को समस्त समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु अग्रेषित।
11– सर्व संबंधित/समस्त होटल/लॉज/रिसोर्ट, प्रबंधक------------जिला सिवनी की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सिवनी

(38)

संलग्नक-5

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र संचालक, पेंच टाईगर रिजर्व, सिवनी (म.प्र.)

Phone 07692-35000, 350004 email ; fdpennp.sni@mp.gov.in ddpennp.sni@mp.gov.in

पत्र क्रमांक / नि.स / 6036 सिवनी, दिनांक 12 / 12 / 2024

प्रति,

समस्त रिसोर्ट मालिक

....

(पेंच टाइगर रिजर्व की सीमा से लगे क्षेत्र)

द्वारा :- परिक्षेत्र अधिकारी, खवासा / घाटकोहका / कुंभपानी

विषय :- क्रिसमस-डे / नववर्ष के समय रिसोर्टो में शोरगुल एवं अन्य कियाकलापों पर नियंत्रण बाबत्।

---0---

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि किसमस डे / नववर्ष के अवसर पर विभिन्न स्थानों से पर्यटक पार्क भ्रमण हेतु पेंच टाइगर रिजर्व, सिवनी में आते हैं तथा वे पेंच टाइगर रिजर्व, सिवनी की सीमा से लगे आपके रिसोर्ट में ठहरते हैं। इस अवसर पर पर्यटकों के मनोरंजन के उद्देश्य से तेज शोरगुल, तेज आवाज में संगीत बजाना, तेज आवाज में फटाखें फोड़ना, तेज प्रकाश करना एवं शोरगुल में नृत्य कर शांत वातावरण को दूषित करने जैसी गतिविधियों का आयोजन न किया जावे ताकि प्रकृति की शांति भंग न हो एवं इसका दुष्प्रभाव वन्यप्राणियों पर न पडें अन्यथा पार्क नियमों के उल्लंघन का दोषी पाये जाने पर ''मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985'' के प्रावधान अनुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र संचालक
पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी (म0प्र0)

पृ0 क्रं. / नि.स. / 6037 सिवनी, दिनांक 12 / 12 / 2024

प्रतिलिपि :-
1. उप संचालक, पेंच टाइगर रिज़र्व सिवनी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
2. सहायक वन संरक्षक सिवनी / छिन्दवाड़ा क्षेत्र पेंच टाइगर रिजर्व, सिवनी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
3. परिक्षेत्राधिकारी, खवासा / घाटकोहका / कुंभपानी पेंच टाइगर रिजर्व, सिवनी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। स्थानीय प्रशासन से समन्वय स्थापित करते हुये ''मध्यप्रदेश'' कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985'' के प्रावधानों का कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित करें। पार्क की सीमा से लगे आपके कार्यक्षेत्र अंतर्गत समस्त रिसोर्ट मालिकों को प्रत्र की प्रति सौंपकर प्राप्ति अभिस्वीकृति प्राप्त कर इस कार्यालय को भेंजे।

712
12/12/24

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र संचालक
पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी (म0प्र0)
11/12/24 11/12

संलग्नक-6

ANNEXURE-VI

~~Annexure-3~~

GPS photographs of waste Segregation facility and composting pits

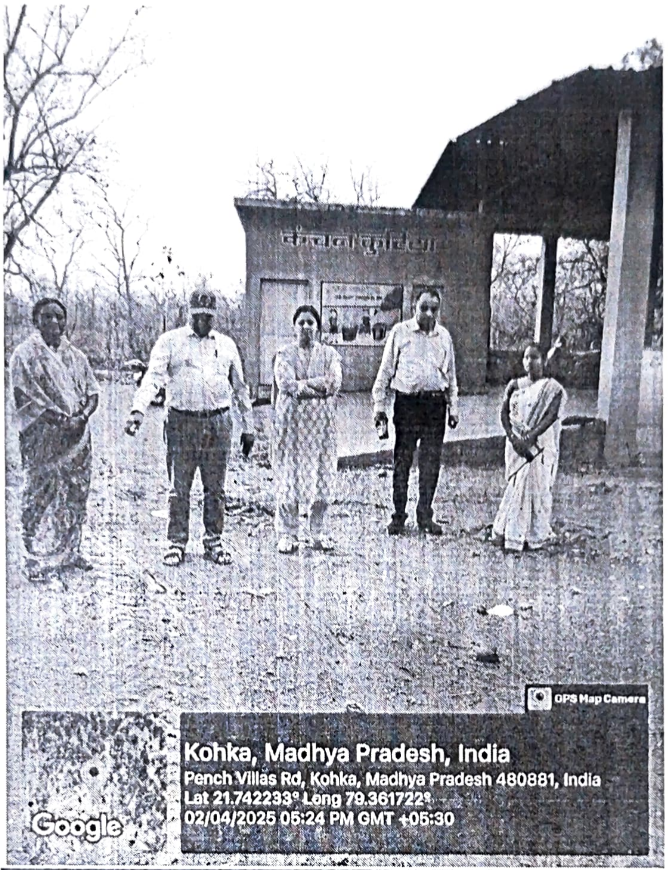

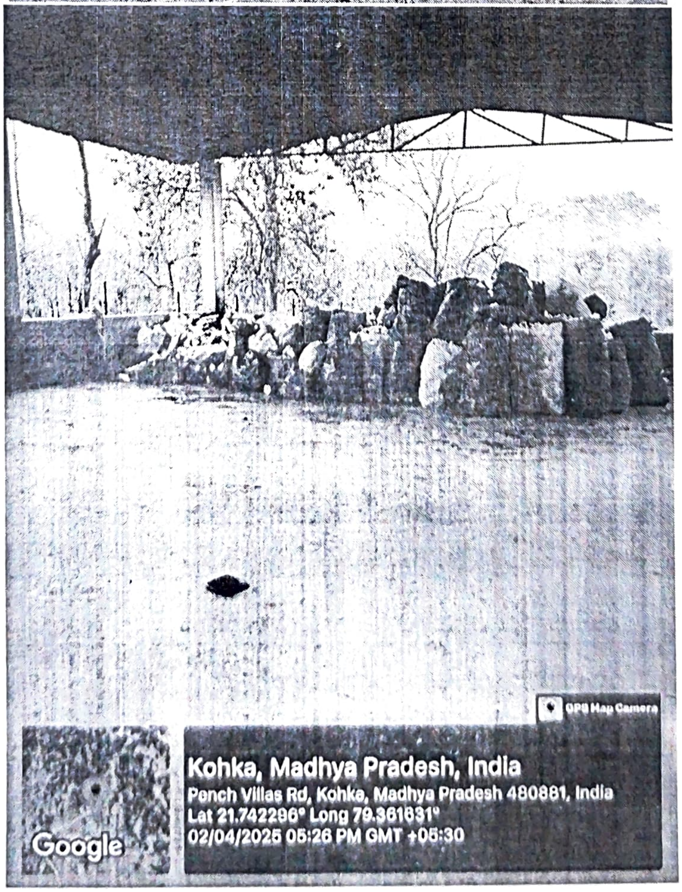

40

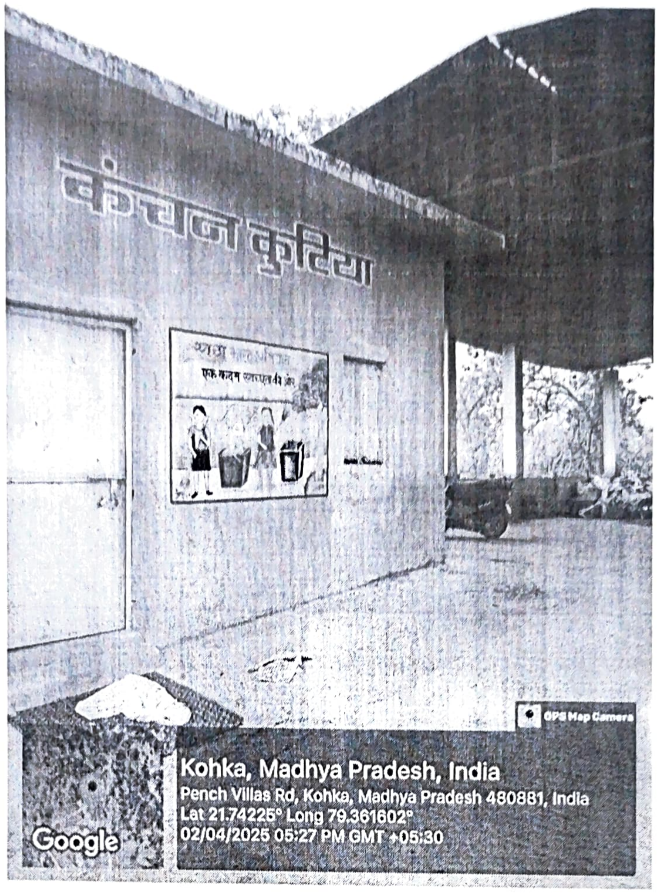
कंचन कुटिया
एक कदम स्वच्छता की ओर
GPS Map Camera
Kohka, Madhya Pradesh, India
Pench Villas Rd, Kohka, Madhya Pradesh 480881, India
Lat 21.74225° Long 79.361602°
02/04/2025 05:27 PM GMT +05:30
Google

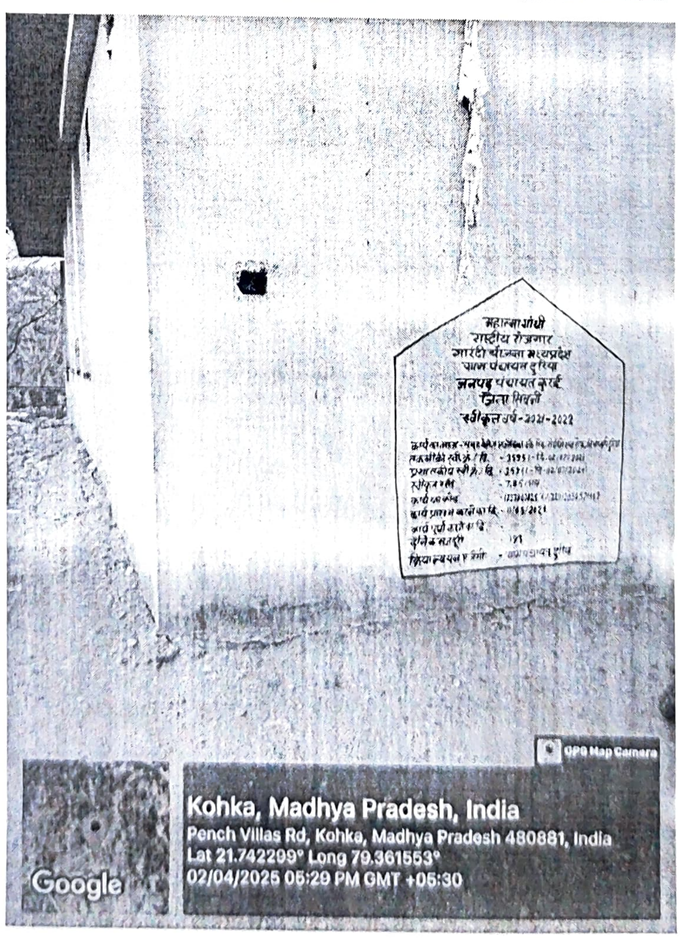
महात्मा गांधी
राष्ट्रीय रोजगार
जनपद पंचायत कुरई
जिला सिवनी
GPS Map Camera
Kohka, Madhya Pradesh, India
Pench Villas Rd, Kohka, Madhya Pradesh 480881, India
Lat 21.742299° Long 79.361553°
02/04/2025 05:29 PM GMT +05:30
Google

(41)

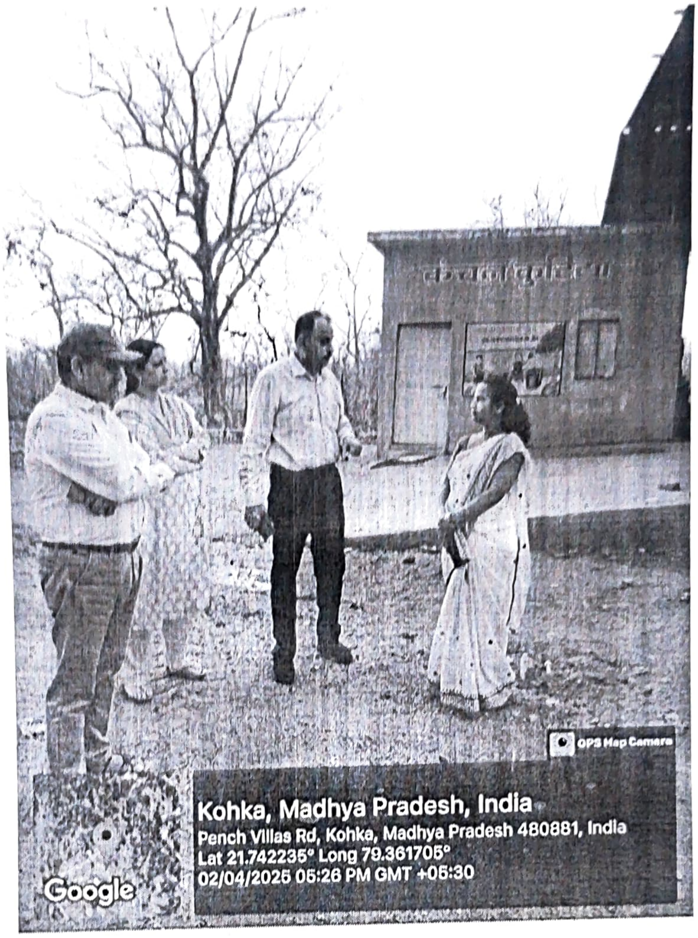
GPS Map Camera
Kohka, Madhya Pradesh, India
Pench Villas Rd, Kohka, Madhya Pradesh 480881, India
Lat 21.742235° Long 79.361705°
02/04/2025 05:26 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Kohka, Madhya Pradesh, India
Pench Villas Rd, Kohka, Madhya Pradesh 480881, India
Lat 21.742235° Long 79.361705°
02/04/2025 05:26 PM GMT +05:30
Google

(42)

संलग्नक-7

ANNEXURE-VII

कार्यालय कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर

क्रमॉक 03 /समन्वय शाखा / 2025 जबलपुर ,दिनॉक 6/ 01 / 2025

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक एंव क्षेत्र संचालक,
सदस्य सचिव स्थानीय सलाहकार समिति,
पेंच टाइगर रिजर्व,
सिवनी।

विषय- दिनॉक 09 दिसम्बर 2024 को आयोजित ईको सेंसटिव जोन मॉनिटरिंग कमेटी पेंच टाईगर रिजर्व सिवनी की बैठक का कार्यवाही विवरण अनुमोदन बावत।

संदर्भ- आपका पत्र क्रमॉक/मा.चि./5984 सिवनी दिनॉक 10/12/2024

----*----

स्थानीय सलाहकार समिति पेंच टाईगर रिजर्व की बैठक दिनॉक 09 दिसम्वर 2024 का कार्यवाही विवरण कमिश्नर/अध्यक्ष महोदय से अनुमोदन पश्चात संलग्न प्रेषित है। कृपया सदस्य सचिव की हैसियत से जारी करने का कष्ट करे।

संलग्न-उपरोक्तानुसार
(आयुक्त महो.व्दारा अनुमोदित)

6/1/25
(अरविंद यादव)
संयुक्त आयुक्त (विकास)
जबलपुर संभाग जबलपुर

7/1/25

दिनांक 09 दिसम्बर, 2024 को आयोजित ईको सेंसटिव जोन मॉनिटरिंग कमेटी पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी (म.प्र.) की बैठक का कार्यवाही विवरण ::

पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी के लिये गठित ईको सेंसटिव जोन मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक दिनांक 09 दिसम्बर, 2024 को आयुक्त जबलपुर संभाग, जबलपुर की अध्यक्षता में पर्यटक सुविधा केन्द्र, खवासा, पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी में सम्पन्न हुई जिसमें निम्नानुसार पदाधिकारी/सदस्यगण एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित हुये :-

1. श्री अभय वर्मा, आयुक्त, जबलपुर संभाग जबलपुर, अध्यक्ष
2. श्री देवप्रसाद जे0 वनसंरक्षक एवं क्षेत्र संचालक, सदस्य सचिव
3. श्री आलोक जैन, आर. ओ. मध्यप्रदेश, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जबलपुर
4. अधिवक्ता डॉ0 जी0 एन0 सोमदेव, Society gor education and developing Indian Rural Poor RO 2006, 5/2 विजय नगर, जबलपुर
5. श्री एम0 एल0 उइके, उप संचालक, उद्यानिकी विभाग, छिन्दवाड़ा

<u>अन्य उपस्थित अधिकारीगण :--</u>

1. कलेक्टर, सिवनी
2. कलेक्टर, छिन्दवाड़ा
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छिन्दवाड़ा
4. श्री अरविंद यादव, संयुक्त आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर
5. श्री नरेशचन्द्र पाटीदार, सहायक वन संरक्षक, पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी
6. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुरई

सर्व प्रथम बैठक में उपस्थित हुये सभी सदस्यों का समिति सचिव एवं क्षेत्र संचालक, पेंच टाइगर रिजर्व, सिवनी द्वारा स्वागत किया गया। तत्पश्चात अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई। बैठक में निम्नानुसार एजेण्डा बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा कर कार्यवाही हेतु सर्वसहमति से निर्णय लिया गया।

<u>एजेण्डा बिन्दु क्रमांक 01</u> :-- स्थानीय सलाहकार समिति की बैठक दिनॉक 28.10.2021, 07.01.2022 तथा दिनॉक 20.10.2022 के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन पर चर्चा।

- स्थानीय सलाहकार समिति की बैठक दिनॉक 28.10.2021, 07.01.2022 तथा दिनॉक 20.10.2022 में लिये गये निर्णयों के पालन प्रतिवेदन पर चर्चा की गई। बैठक में लिये गये निर्णयानुसार क्षेत्र का सतत् रूप से निरीक्षण करते हुये नियमों का उल्लंघन पाये जाने पर संबंधितों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही किये हेतु सर्वसंबंधितों को निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही : पूर्व बैठकों में लिये गये निर्णयानुसार सर्वसंबंधित)

<u>एजेण्डा बिन्दु क्रमांक 02</u> :-- माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा Original Application No. 92/2023 (CZ) (O.A. No. 452/2022-PB) में दिये गये निर्णय पर की गई कार्यवाही पर चर्चा।

- माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा Original Application No. 92/2023 (CZ) (O.A. No. 452/2022-PB) में पारित निर्णयों के पालन की अद्यतन स्थिति पर चर्चा की गई। सहायक वन संरक्षक सिवनी क्षेत्र द्वारा यह जानकारी दी गई कि संबंधित भूमिस्वामी द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित निर्णय का पालन किये जाने के संबंध में यह अवगत कराया गया है कि बाउण्ड्रीवाल पर जो तार की फैंसिंग की गई उस स्थान पर पौधे लगा दिये गये हैं तथा पौधो के बड़े होने पर उक्त तार की फैंसिंग को हटा लेने एवं तालाब की बण्ड पर जो पत्थर की पीचिंग की गई है उसमें वन्यजीवों के फिसलन को रोकने हेतु बण्ड मे घास लगाया गया है। कलेक्टर सिवनी को पेंच टाइगर रिजर्व, सिवनी एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों को सम्मिलित करते हुये एक संयुक्त समिति का गठन किये जाने हेतु निर्देश दिये गये। उक्त समिति मौका स्थल का निरीक्षण कर माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित निर्णयों के पालन में संबंधित भूमिस्वामी द्वारा किये गये प्रबंध की अद्यतन स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।

(कार्यवाही : कलेक्टर सिवनी/क्षेत्र संचालक पेंच टाइगर रिजर्व, सिवनी)

(44)

कान्हा बिन्दु क्रमांक 03 :–पेंच टाइगर रिजर्व में बिना वैध अनुमति के निर्माण हो रहे होटल/रिसोर्टस/अन्य कार्यों की जानकारी तथा उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी।

- ईको सेंसटिव जोनल मास्टर प्लान के अनुमोदन की अद्यतन स्थिति के संबंध में चर्चा की गई। सदस्य सचिव द्वारा यह जानकारी दी गई कि ईको सेंसटिव जोनल मास्टर के अनुमोदन की कार्यवाही शासन स्तर पर प्रक्रियाधीन है। अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग की अध्यक्षता में जोनल मास्टर प्लान की समीक्षा हेतु Inter-department State Level Committee की दो बैठकें उनके एन्टी चेम्बर में सम्पन्न हो चुकी हैं। शीघ्र ही अनुमोदन प्राप्त होने की संभावना है। इस संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), मध्य प्रदेश भोपाल ने पत्र कमांक/व.प्रा./मा.चि.–II/कान्हा टा.रि./ESZ/7010 दिनांक 09/08/2024 द्वारा निम्नानुसार मार्गदर्शन दिया है :–

भारत सरकार द्वारा कान्हा टाइगर रिजर्व के ईको–सेंसेटिव जोन की दिनांक 12.03.2021 को अंतिम अधिसूचना की गई है। इस अधिसूचना के बिन्दु क्रमांक–4 (10) वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टो की स्थापना–पारिस्थितिकीय पर्यटन क्रियाकलापों लघु अस्थायी संरचनाओं के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा एवं एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्टो को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। परन्तु यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 01 कि.मी. के परे या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें से, जो भी निकट हो सभी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप होगा। इससे स्पष्ट है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही पर्यटन महायोजना के अनुरूप किये जाने के निर्देश है अर्थात उपरोक्त कार्यवाही पर्यटन महायोजना के लागू होने के उपरांत ही योजना के अनुसार कार्य किया जाना उचित होगा। ईको सेंसेटिव जोन की अधिसूचना में विनियमित गतिविधियों के रूप में लघु अस्थायी संरचनाओं के अंतर्गत किस प्रकार संरचनायें आती हैं एवं लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण हेतु अनुमति/अनापत्ति दी जा सकती है अथवा नहीं ? के संबंध में लेख है कि ऐसी संरचनायें जो स्थायी प्रकृति की नहीं है और निर्माण कार्य सम्मिलित नहीं है, इसे आकस्मिक आवश्यकताओं हेतु फाइबर, कैनवास, टिन, लकड़ी अथवा बांस जैसी सामग्री से अस्थायी रूप से अल्प अवधि हेतु तैयार किया जाता है तथा आवश्यकता समाप्त होने पर हटा लिया जाता है, से सहमति व्यक्त की जाती है। मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पत्र क्रमांक एफ–5/11/20006/10–3 दिनांक 14.09.2021 से जारी पत्र में बिना वनभूमि तोड़ेबिना वृक्ष काटे तथा बिना लीज दिये अस्थायी कार्य करने की अनुमति के अधिकार प्रत्यायोजन बाबत जारी में अस्थायी कार्यों के उपयोग की अनुमति 02 सप्ताह से अधिक अवधि नहीं होने का उल्लेख है। ऐसी अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के संबंध में ईको–सेंसेटिव जोन की जारी अधिसूचना में स्पष्ट उल्लेख नहीं है किन्तु बिन्दु क्रमांक 4 (10) एवं (11) में संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर ईको सेंसेटिव जोन क्षेत्र में किसी भी प्रकार के वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं है तथा एक किलोमीटर क्षेत्र से परे उपरोक्त वाणिज्यिक सनिर्माण कार्य आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होने का उल्लेख है, तदानुसार कार्यवाही किया जाना उचित होगा। उपरोक्त पत्र की प्रति समस्त क्षेत्र संचालक टाइगर रिजर्व को भी दी गयी है।

अतः उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाने के निर्देश दिये गये है।

(कार्यवाही : कलेक्टर सिवनी, छिंदवाड़ा/क्षेत्र संचालक पेंच टाइगर रिजर्व, सिवनी)

- ईको सेंसटिव जोन के अंतर्गत प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्रियाकलापों के संबंध में चर्चा उपरांत यह निर्देशित किया गया कि प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों की सतत् मॉनिटरिंग करते हुये नियमों का उल्लंघन पाये जाने पर संबंधित के विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन वन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 15–28/2007/10–2 भोपाल, दिनाँक 14/02/2022 में दिये गये निर्देशानुसार सर्वसंबंधित अधिकारी पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में विहित प्रावधानों तथा धारा 19 के प्रावधानों के अनुसार परिवाद जिला न्यायालय में प्रस्तुत किया जावे। उक्त पत्र दिनाँक 14/02/2022 की कंडिका (4), (5) एवं (6) में निम्नानुसार प्रावधान किये गये है :–

(1) ईको सेंसटिव जोन की अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्रियाकलापों अथवा अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध मॉनिटरिंग समिति का सदस्य सचिव या संबंधित कलेक्टर या संबंधित संरक्षित क्षेत्र का उप वन संरक्षक स्तर के अधिकारी को

(45)

(286)

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन अपने अधिकारिता क्षेत्र के सक्षम न्यायालय में परिवाद दायर करने हेतु अधिकृत किया गया है।

(2) ईको सेंसटिव जोन की अधिसूचना में वन एवं राजस्व दोनों प्रकार के क्षेत्र शामिल है। वन क्षेत्र में प्रतिबंधित एवं विनियमित क्रियाकलापों के उल्लंघन पर वन (अधिनियमों/नियमों के सुसंगत प्रावधानों के तहत प्रकरण वन विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा पंजीबद्ध किया जायेगा। प्रकरण की जांच उपरांत संबंधित वनक्षेत्र के भारसाधक अधिकारी यथा वनमंडलाधिकारी, राष्ट्रीय उद्यान का उप वन संरक्षक अपनी अधिकारिता क्षेत्र के सक्षम न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करेंगे।

(3) राजस्व क्षेत्र में प्रतिबंधित एवं विनियमित क्रियाकलापों के उल्लंघन होने पर जिस विभाग के अधिनियमों/नियमों का उल्लंघन हुआ है उस विभाग के भारसाधक/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर विधिसम्मत जांच उपरांत जिला कलेक्टर के अनुमोदन से अपने अधिकारिता क्षेत्र के सक्षम न्यायालय में परिवाद करेंगे।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त कार्यवाही को क्षेत्र संचालक, पेंच टाइगर रिजर्व, सिवनी जिला कलेक्टर के सहयोग से सम्पन्न करायेंगे। परिवाद प्रस्तुत करने हेतु अधिवक्ता को ईको सेंसटिव जोन की अधिसूचना तथा सुसंगत अभिलेखों की प्रति उपलब्ध कराकर परिवाद का एक निर्धारित प्रारूप भी तैयार करायेंगे। **(कार्यवाही सदस्य सचिव एवं क्षेत्र संचालक पेंच टाइगर रिजर्व, सिवनी/कलेक्टर सिवनी)**

<u>अन्य मुददे</u>

- रिसोर्ट निमार्ण एवं टेंट लगााकर पर्यटकों को रूकवाने हेतु संरचना तैयार किये जाने के लिये अनुमति हेतु प्राप्त आवेदनों पर चर्चा की गई। सदस्य सचिव/क्षेत्र संचालक द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में रिसोर्ट निमार्ण की अनुमति के 36 आवेदन तथा 01 आवेदन टेन्ट लगाकर कमरानुमा अस्थायी संरचना निर्माण किये जाने की अनुमति हेतु प्राप्त हुआ है। चूंकि किसी अस्थायी संरचना निर्माण की अनुमति केवल 2 सप्ताह की अवधि के लिये ही अनुमत्य रहेगी ऐसी स्थिति में टेन्ट लगाकर किये गये अस्थायी निर्माण को समयावधि उपरांत हटाये जाने की कार्यवाही में व्यवहारिक समस्या आने की प्रबल संभावना रहेगी। अतएव टेंट लगााकर पर्यटकों को रूकवाने हेतु संरचना तैयार किये जाने की <u>अनुमति नहीं दिये जाने का निर्णय सर्वसहमति से लिया गया।</u>
  (कार्यवाही – कलेक्टर सिवनी, छिंदवाड़ा तथा अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व (संबंधित))

- विगत् स्थानीय सलाहकार समिति की बैठक दिनॉक 03 अक्टूबर, 2023 में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया था कि कोर जोन में तत्समय 178 पर्यटक वाहन पंजीकृत थे जिसमें प्रत्येक वाहन मालिक को रोस्टर अनुसार माह में 15 चक्र प्राप्त होने से माह में लगभग 20,000/– (बीस हजार रूपये मात्र) की आय हो रही थी। इससे अधिक वाहनों का पंजीयन किये जाने से वाहन मालिकों को होने वाली आर्थिक क्षति को दृष्टिगत रखते हुये कोर जोन में कोई भी नये वाहन पंजीकृत नहीं किये जाने का निणर्य तत्समय बैठक में सर्वसहमति से समिति द्वारा लिया गया था। निर्णय उपरांत कोर जोन में किसी भी नये वाहन के पंजीयन को प्रतिबंधित किया गया था।

  किन्तु क्षेत्र संचालक, पेंच टाइगर रिजर्व, सिवनी तथा कलेक्टर, सिवनी द्वारा यह अवगत कराया गया कि कोर जोन में वाहनों के पंजीयन पर रोक होने से स्थानीय ग्रामीणों में रोष व्याप्त है तथा ग्रामीणजन उनके वाहनों का पंजीयन किये जाने हेतु जन सुनवाई तथा अन्य माध्यमों से निरंतर आवेदन प्रस्तुत कर रहे है। क्षेत्र संचालक, पेंच टाइगर रिजर्व, सिवनी द्वारा यह जानकारी दी गई कि वर्तमान पर्यटन वर्ष 2024–25 में समस्त वर्गों के मिलाकर कोर जोन में लगभग 180 वाहन पंजीकृत किये जा चुके हैं। विभाग के प्रति स्थानीय ग्रामीणों में व्याप्त रोष तथा वन्यप्राणी सुरक्षा एवं प्रबंधन कार्यों में पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुये कोर जोन में नये वाहनों के पंजीयन पर लगाये गये प्रतिबंध को हटाया जाना उचित होगा। चर्चा उपरांत सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया

कि पेंच टाइगर रिजर्व के बफर परिक्षेत्रों में स्थित 107 ग्रामों के [illegible] दिनांक 09/12/2024 की स्थिति में मान लिये जा चुके हैं [illegible] कोर जोन में किया जा सकेगा। वाहनों के पंजीयन में [illegible] रहेगी।

(कार्यवाही : क्षेत्र संचालक, पेंच टाइगर रिजर्व, सिवनी)

- क्षेत्र अंतर्गत वन्यप्राणी द्वारा जनघायल/जनहानि तथा पशुघायल/पशुहानि की घटनायें प्रकाश में आने पर शासन के प्रावधानानुसार क्षतिपूर्ति राशि का त्वरित रूप से भुगतान किये जाने हेतु निर्देशित किया गया ताकि मानव–वन्यप्राणी द्वंद्व की स्थिति अथवा अन्य अप्रिय स्थिति निर्मित न होने पावे।

  (कार्यवाही : उप संचालक पेंच टाइगर रिजर्व, सिवनी)

- होटल/रिसोर्टों में विवाह अथवा अन्य अवसरों पर तेज ध्वनि में वजाये जाने वाले डी0 जे0, बाजे आदि ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर ''मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985'' में विहित प्रावधनों के अनुसार संबंधितों के विरूद्ध पुलिस/अनुविभागीय अधिकारी के सहयोग से कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। नियमों का कड़ाई से पालन कराने जाने के उद्देश्य से प्रावधानों के अतिरिक्त संबंधितों पर जुर्माना लगाये जाने हेतु नार्म्स तैयार कर प्रस्तुत किये जाने हेतु कलेक्टर सिवनी द्वारा आश्वस्त किया गया। इसके अतिरिक्त क्षेत्र में निर्मित होटल/रिसोर्ट मालिकों की बैठक लेकर ''मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियन 1985'' का कड़ाई से पालन करने हेतु समझाईश दिये जाने के लिये अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कुरई/चौरई को निर्देशित किया गया।

  (कार्यवाही : अनविभागीय अधिकारी राजस्व कुरई/चौरई, सहायक वन संरक्षक सिवनी क्षेत्र/परिक्षेत्राधिकारी खवासा बफर)

- रात्रि में खवासा से टुरिया मार्ग में वन्यजीवों के आवागमन को दृष्टिगत् रखते हुये वाहन या अन्य दुर्घटना से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये रात्रि में 9:00 से प्रातः 5:00 तक ''नो एन्ट्री जोन'' घोषित कराये जाने हेतु बैठक में चर्चा की गई। चर्चा उपरांत कलेक्टर सिवनी द्वारा अवगत कराया गया कि आगामी आयोजित होने वाली सड़क सुरक्षा की बैठक में इस विषय को एजेण्डा में सम्मिलित करते हुये चर्चा उपरांत निर्णय लिया जावेगा।

  (कार्यवाही – कलेक्टर सिवनी/सहायक वन संरक्षक सिवनी क्षेत्र/परिक्षेत्राधिकारी खवासा बफर)

- तोतलाडोह जलाशय में अवैध मत्स्याखेट पर प्रभावी नियंत्रण बनाये रखने के संबंध में चर्चा की गई। चर्चा उपरांत यह निर्णय लिया गया कि वन विभाग द्वारा अवैध मत्स्याखेट की रोकथाम हेतु समय–समय चलाये जाने वाले विशेष अभियान के दौरान पुलिस बल का सहयोग लेकर कार्यवाही की जावेगी

  (कार्यवाही क्षेत्र संचालक/जिला कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक सिवनी/छिन्दवाड़ा)

(अभय वर्मा)
अध्यक्ष
ईको सेंसटिव जोन मॉनिटरिंग
कमेटी एवं
आयुक्त
जबलपुर संभाग

(देवाप्रसाद जे0)
सदस्य सचिव
ईको सेंसटिव जोन मॉनिटरिंग
कमेटी एवं
मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र संचालक
पेंच टाइगर रिजर्व, सिवनी (म.प्र.)

JCR in OA 10-2025 (Dinesh Thakur v Feild Director, Pench Tiger Reserve & Ors.)

From : Legal Cell <legalcell.pcb@mp.gov.in> Wed, Apr 16, 2025 03:58 PM

Subject : JCR in OA 10-2025 (Dinesh Thakur v Feild Director, Pench Tiger Reserve & Ors.) 1 attachment

To : sonisachin13121@gmail.com

Cc : harnengt <harnengt@gmail.com>, parul bhadoria04 <parul.bhadoria04@gmail.com>, FD Pench MP <fdpennp.sni@mp.gov.in>, DM Seoni <dmseoni@nic.in>, Additional Chief Secretary Forest <acsforest@mp.gov.in>, romppcbjbp <romppcbjbp@rediffmail.com>

Sir

Please find enclosed the copy of the joint committee report submitted in compliance of order dated 27.01.2025 passed by Hon'ble NGT in OA 10-2025 (Dinesh Thakur v Field Director, Pench Tiger Reserve & Ors.). This mail may be treated as proof of service.

Regards
Legal Section
MP PCB

Final JCR NGT 10-2025 15.04.2025.pdf
20 MB